प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 करोड (रूपये पचास करोड मात्र) में से धनराशि रू0 34.5589 करोड (रूपये चौंतीस करोड, पचपन लाख, नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या- यूपीएलसी:आईसीपी: 9064(2020-21) दिनांक 10-09-2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 करोड (रूपये पचास करोड मात्र) में से धनराशि रू0 34.5589 करोड (रूपये चौंतीस करोड, पचपन लाख, नवासी हजार मात्र) को निदेशक उद्योग के निर्वतन पर रखे जाने तथा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा आहरित कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) (क) प्राधिकरणों को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व मिशन निदेशालय के रूप में कार्यरत संस्था उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संबंधित इकाईयां (संलग्न सूची के अनुसार) नीति के अन्तर्गत पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण करती हैं।

(ख) जिन प्रकरणों में प्राधिकरणों द्वारा संलग्न सूची में उल्लिखित इकाईयों को आवंटित भू-खण्ड के मूल्य के सापेक्ष छूट प्रदान कर दी गई है उनमें छूट की धनराशि की प्रतिपूर्ति संबंधित प्राधिकरणों को कर दी जायेगी। यदि किसी इकाई द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर उद्योग की स्थापना कर क्रियाशील नहीं किया जाता है तो इकाई को आवंटित भू-खण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को वापस किये जाने की स्थिति बनेगी तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त छूट की प्रतिपूर्ति की धनराशि संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा राजकोष में ब्याज सहित जमा करायी जायेगी।

(ग) जिन इकाईयों द्वारा भू-खण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान बिना छूट प्राप्त किये प्राधिकरणों को कर दिया गया है उनके संबंध में छूट की धनराशि इकाईयों को प्राधिकरण के माध्यम से दी जायेगी। प्राधिकरण द्वारा छूट की धनराशि समायोजित करते हुए कार्यवाही की जायेगी। ऐसा करने से पूर्व प्राधिकरण द्वारा छूट की धनराशि के सापेक्ष समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी निवेशक इकाई से प्राप्त कर लेंगे, जिसको इकाई द्वारा वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75, दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन सब्सिडी के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण राज्यकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(8) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नही रखा जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020 व 11-04-2020 द्वारा दिशा-निर्देशों को पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्षक "2852-उद्योग, 07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, 202-इलेक्ट्रानिक्स,20-इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन,27-सब्सिडी, मद" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के आशा0 संख्या-ई-6-34/दस-2021, दिनांक 11-01-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-02/2021/1415(1)/78-1-2020 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- प्रधान महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
7- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2
12- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या–02/2021/1415/78-1-2020-87आई0टी0/2014एलसी का संलग्नक

क्र0 सं0	इकाईयों का नाम	लेटर ऑफ कम्पर्ट के निर्गत होने की स्थिति	इकाई द्वारा क्रय किये गये भू-खण्ड का मूल्य (करोड रू0)	इकाई द्वारा प्राधिकरण को किया गया भुगतान (करोड रू0)	प्रस्तावित छूट की धनराशि (करोड रू0)
(क) डी.एम.आई.सी.आई.आई.टी.जी.एन.एल.					
1	मेसर्स फोर्मे ट्रेडिंग प्रा0 लि0।	**LoC issued On 25-01-2020**	**12.8970**	**8.3828**	**3.2242**
2	**मेसर्स चेनफेंग टेक प्रा0लि0 (कार्यशील)।**	**PLoC issued On 13-01-2020**	**42.2171**	**41.3728**	**10.5543**
		उप योग(क)	**55.1141**	**49.7556**	**13.7785**
(ख) नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण					
3	मेसर्स स्टर्लिंग कम्पोनेन्ट्स प्रा0लि0।	**LoC issued On 25-01-2020**	**1.3417**	**0.3257** (0.6806 करोड की शेष किश्तें अभी जमा की जानी है)	**0.3354**
4	मेसर्स आईकियो सॉल्यूशन्स प्रा0लि0।	**PLoC issued On 05-08-2019**	**26.3031**	**26.3031**	**6.5758**
5	मेसर्स वेस्टवे इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड।	**PLoC issued On 25-01-2020**	6.9208	2.4386 (2.7520 करोड की शेष किश्तें अभी जमा की जानी है)	**1.7302**
		उप योग(ख)	34.5656		**8.6414**
(ग) ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण					
6	मेसर्स सनडैक सोलर सॉल्यूशन्स प्रा0लि0।	**LoC issued On 30-07-2019**	**0.5351**	**0.5351**	**0.1338**
7	मेसर्स फूजीयामा पावर सिस्टम्स प्रा0लि0।	**LoC issued On 30-07-2019**	**7.7440**	**5.8334**	**1.9360**
		उप योग(ग)	**8.2791**	**6.3685**	**2.0698**
(घ) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण					
8	मेसर्स क्षिहि टेक्नोलॉजी प्रा0लि0।	**LoC issued On 13-01-2020**	**19.7949**		**4.9487**
9	मेसर्स यिंगटांग इलेक्ट्रानिक	**PLoC issued**	**20.4821**	**15.35**	**5.1205**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	टेक्नोलॉजी इण्डिया प्रा0लि0।	**On 13-01-2020**			
		उप योग(घ)	**40.2770**		**10.0692**
		कुल योग	**138.2358**		**34.5589**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।